(29)

झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

पत्रांक :– खा0आ0 (राज्य सेवा)–01/2011 – 1479 /राँची, दिनांक – 25/4/12

प्रेषक,

राजबाला वर्मा,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी उपायुक्त,
झारखण्ड।

विषय :– झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी विधेयक का अनुपालन करने के संबंध में।

प्रसंग :– विभागीय पत्रांक – 3345, दिनांक 01.12.2011।

महाशय/महाशया,

सूचित करना है कि झारखण्ड सरकार द्वारा झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी विधेयक 2011 संपूर्ण राज्य में लागू किया गया है। इस विधेयक की धारा 13 (1) के अन्तर्गत सरकार द्वारा झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी नियमावली 2011 बनायी गई है, जो कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या 2 / विविध – 11 – 13 / 2011 का 7025 / राँची, दिनांक 15.11.2011 द्वारा अधिसूचित की गई है। इस अधिसूचना की प्रति विभाग में प्रासंगीक पत्र के द्वारा आपको भेजी गई है।

2 झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी नियमावली 2011 के अन्तर्गत इस विभाग से संबंधित तीन (3) सेवाएँ है, जिनके लिए नियत समय सीमा निम्नवत है :–

क्र0 सं0	अधिसूचित सेवा	सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय सीमा
1	जन वितरण प्रणाली दुकान की अनुज्ञप्ति निर्गत करना।	30 दिन
2	जन वितरण प्रणाली दुकान की अनुज्ञप्ति निलंबित होने पर निलंबन मुक्ति/रद्द करने का निर्णय	90 दिन
3	नये राशन कार्ड के आवेदन पर निर्णय	60 दिन

3. झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी नियमावली 2011 में इस विभाग से संबंधित उपर्युक्त तीनों सेवाओं के लिए आवेदक द्वारा दी जाने वाली आवेदन पर अभिस्वीकृति देने हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में समय सीमा का उल्लेख करते हुए अभिस्वीकृति प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इस संबंध में उपरोक्त अधिसूचित सेवा के लिए नामनिर्दिष्ट पदाधिकारी द्वारा निर्दिष्ट पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं कार्यालय का नाम के साथ सेवा प्रदान करने हेतु आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज, सेवा प्रदान करने की समय सीमा एवं प्रथम एवं द्वितीय अपीलीय पदाधिकारी का नाम एवं पता अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जायेगी। नये राशन कार्ड निर्गत करने के संबंध में पूर्व में ही प्रासंगिक पत्र के द्वारा स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य के सभी लोगों को नये राशन कार्ड निर्गत किये जाये, जिसके लिए विशेष अभियान के तहत आवेदन प्राप्त किये गये हैं, जिनका डिजिटाईजेशन कार्य सभी

जिलों द्वारा किया जा रहा है। इसी बीच पुराने व्यवस्था के अन्तर्गत नये राशन कार्ड के लिए जो आवेदन प्राप्त होते हैं उन आवेदनों की जाँच कर पुरानी प्रक्रिया के अनुसार राशन कार्ड सेवा देने की गारंटी नियमावली 2011 द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्दर निर्गत किये जायें।

4. आपसे अनुरोध है कि झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी नियमावली 2011 के अन्तर्गत विभाग की उपर्युक्त तीनों सेवाओं के संबंध में समय पर कार्रवाई करना कृपया सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,

(राजबाला वर्मा),
सरकार के प्रधान सचिव।